राजस्व लोक अदालत 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्टः– श्री भागीरथराम (आर.ए.एस.)

कैम्प–जानियाना दिनांकः– 11.5.18

मुकदमा सं0 :–129/2017

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. जितेन्द्र पुत्र घेवरचंद जाति मेघवाल निवासी बालोतरा	1. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
2. खीमाराम पुत्र उदाराम कौम मेघवाल निवासी मूगड़ा तह0 पचपदरा	2. आयुक्त/सभापति नगर परिषद बालोतरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251–ए (1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत स्वीकृति हेतु

आदेश

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में पेश हुई । प्रार्थीगण द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए उपखण्ड (2) प्रावधानों के तहत नया रास्ता बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरहद मौजा होटलू के कटाण रास्ते से जुड़ते खेत खसरा सं0 387/205, 394/208, व 383/199 में से संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार खसरा सं0 385/203 तक रास्ता कृषि उपयोग करने कि इरादे से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा सं0 385/203 रकबा 8.10 बीघा मौजा होटलू पटवार क्षैत्र बिठूजा भू0अ0नि0 क्षैत्र आसोतरा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। विप्रार्थी सं0 1 का खसरा सं387/205 रकबा 15.15 बीघा एवं खसरा सं0394/208 रकबा 12.10 बीघा विप्रार्थी सं0 2 खसरा 0 383/199 रकबा 11.05 बीघा मौजा होटलू में विप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। उे

पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया राजस्व लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान एवं मौजिज लोगों को सुना गया । पत्रावली के संलग्न तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया । तहसीलदार पचपदरा ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न राजस्व नक्शा अनुसार ग्राम होटलू के ख0 नं0 394/208, 396/208, 383/199, व खसरा सं0387/205 में से रकबा क्रमशः 0.12, 0.02, 0.14, 0.09, कुल रकबा 01.17 बीघा रास्ते की भूमि बनती है जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 36700/– रूपये प्रति बीघा है जिसकी प्रस्तावित भूमि की कुल राशि 135,790/– रूपये बनते है।

प्रकरण में साक्ष्य दस्तावेजातों के अवलोकन किया जा कर प्रकरण में पक्षकारान को सुना जा कर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में राजस्व लोक अदालत की मूल भावना से प्रेरित होकर ग्राम होटलू के ख0 नं0 394/208 396/208, 383/199, व खसरा सं0387/205 में से रकबा क्रमशः 0.12, 0.02, 0.14, 0.09, कुल रकबा 01.17 बीघा भूमि रास्ते हेतू दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते हेतू स्वीकृत कुल रकबा 01.17 बीघा भूमि के डी0एलसी0 दर रू0 36700/– से मुआवजा राशि रू0 135,790/– राजकोष में जमा करवाये। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते है मुआवजा राशि जमा होने पर रास्ते का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी (लोक अदालत)/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...

Scanned by CamScanner